केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/153 दिनांक: 15.06.2018
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00144
CICOM/R/2018/00461

अपीलकर्ता : श्री बजरंगी पासवान,
ग्राम – आदर्शनगर, लगौली,
पो0 – तिलरथ, ज़िला – बेगूसराय,
बिहार – 851199.

निर्णय की तारीख : 15.06.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	27.04.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	09.05.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस. सी. शर्मा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	06.06.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	274/13.06.2018 (137072/12.06.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 27.04.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग के आदेश सं. CIC/IOCLD/A/2017/135185 की अभिप्रमाणित छायाप्रति की मांग की गई थी । प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता ने उल्लेख किया है कि उन्हें अभी तक सूचना प्रदान नहीं की गई है ।

2. संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील आवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 27.04.2018 के आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित सूचना श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय द्वारा दिनांक 09.05.2018 को पत्र सं. CICOM/R/2018/00461 के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है । अपीलकर्ता के सुलभ संदर्भ हेतु श्री एस. सी. शर्मा द्वारा प्रदान की गई सूचना की प्रति इस आदेश के साथ पुन: संलग्न है । **श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुरूप है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।**

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

संलग्नक – यथोपरि

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :
1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
15 JUN 2018
D. No.
Initials.